

28.03.2022:—आज यह पत्रावली प्रार्थी वकील के निवेदन पर पेशी में ली गई। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का मूल वादपत्र में राजीनामा हो गया है। इस कारण प्रार्थीगण उक्त प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही नहीं चाहता। इस कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जावे।

अतः प्रार्थना-पत्र मूल वादपत्र में राजीनामा होने के कारण मौजूदा सूरत में ही खारिज किया जाता है व पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।

✶